2019 का विधेयक संख्यांक 111

[दि डेंटिस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

1948 का 16

2. दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (च) में "और कम से कम दो सदस्य राज्य रजिस्टर के भाग 'ख' में दर्ज दन्त चिकित्सक होंगे", शब्दों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 21 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (अधिनियम) दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था । अधिनियम की धारा 3 भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (परिषद्) के गठन के लिए उपबंध करती है । अधिनियम की धारा 31 यह उपबंध करती है कि परिषद्, भारतीय दंत चिकित्सा रजिस्टर के रूप में ज्ञात दंत चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी, जिसमें दंत चिकित्सकों की सभी राज्य रजिस्टर की प्रविष्टियां होती हैं । दंत चिकित्सकों का रजिस्टर दो भागों अर्थात् भाग क और भाग ख में रखा जाएगा । भाग क मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हताएं रखने वाले सभी दंत चिकित्सकों से मिलकर बनेगा और भाग ख, जिसमें ऐसे व्यक्ति अंतर्विष्ट हैं, जो ऐसी अर्हताएं नहीं रखते हैं किन्तु धारा 32 के अधीन नियुक्त तारीख से पूर्व पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए आजीविका के मुख्य साधन के रूप में दंत चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए हैं ।

2. भाग ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व की तारीख अर्थात् 29 मार्च, 1948 से उन व्यक्तियों के लिए अनुज्ञात किया गया था, जो विभाजन के दौरान विस्थापित हुए थे और 14 अप्रैल, 1957 के पश्चात् तथा 25 मार्च, 1971 से पहले बंग्लादेश से विस्थापित हुए थे या बर्मा अथवा सीलोन से संप्रत्यावर्तित हुए थे । तथापि, वर्ष 1972 के पश्चात् कोई व्यक्ति भाग ख में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है । भाग क में रजिस्ट्रीकृत 2.7 लाख रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सकों के प्रति भाग ख में लगभग 950 रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सक हैं । इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर, पुड्डुचेरी, पंजाब और दिल्ली जैसे कुछ ही राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने भाग ख में दंत चिकित्सकों को रजिस्ट्रीकृत करवाया है ।

3. अधिनियम की धारा 3 यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार परिषद् में छह सदस्यों को केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशितियों के रूप में नामनिर्देशित करती है, जिनमें से कम से कम दो राज्य रजिस्टर के भाग ख में रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सक होंगे । अधिनियम ऐसे चार सदस्यों वाली राज्य दंत चिकित्सा परिषदों तथा ऐसे दो सदस्यों वाली संयुक्त राज्य दंत चिकित्सा परिषदों के गठन का भी उपबंध करता है, जो राज्य रजिस्टर के भाग ख में रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सकों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित किए गए हों ।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे परिषद्, राज्य दंत चिकित्सा परिषदों तथा संयुक्त राज्य दंत चिकित्सा परिषदों में भाग ख दंत चिकित्सकों के प्रतिनिधित्व की आज्ञापक अपेक्षा, को हटाया जा सके ।

5. प्रस्तावित दंत चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2019 निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(क) परिषद् की सदस्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) का संशोधन करना, जिससे भाग ख में रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए उपबंध का लोप किया जा सके ;

(ख) राज्य दंत चिकित्सा परिषदों के भाग ख से चार सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अधिनियम की धारा 21 के खंड (ख) का लोप करना ;

(ग) संयुक्त राज्य दंत चिकित्सा परिषदों के भाग ख से दो सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अधिनियम की धारा 23 के खंड (ख) का लोप करना ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 जून, 2019

डॉ. हर्ष वर्धन

उपाबंध

दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 16) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 2

भारतीय दंत-परिषद्

परिषद् का गठन और उसकी संरचना ।

3. केन्द्रीय सरकार, एक परिषद् का यथाशक्य शीघ्र गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

* * * * * *

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित छह सदस्य जिनमें से एक सदस्य ऐसा रजिस्ट्रीकृत दंत-चिकित्सक होगा जिनके पास मान्यताप्राप्त दंत-चिकित्सा की अर्हता हो और जो दंत-चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो या किसी संघ राज्यक्षेत्र में दंत-चिकित्सकों के प्रशिक्षण की किसी संस्था में नियुक्त हो और कम से कम दो सदस्य राज्य रजिस्टर के भाग ख में दर्ज दंत-चिकित्सक होंगे ;

* * * * * *

अध्याय 3

राज्य दंत-परिषद्

* * * * * *

राज्य परिषदों का गठन और उनकी संरचना ।

21. उस दशा के सिवाय जिसमें धारा 22 के अधीन किए गए करार के अनुसार संयुक्त राज्य परिषद् का गठन किया है, राज्य सरकार, एक परिषद् का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ख) राज्य रजिस्टर के भाग ख में रजिस्ट्रीकृत दंत-चिकित्सकों द्वारा अपने में निर्वाचित चार सदस्य ;

* * * * * *

संयुक्त राज्य परिषदों की संरचना ।

23. संयुक्त राज्य परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

* * * * * *

(ख) भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक राज्य के रजिस्टर के भाग ख में रजिस्ट्रीकृत दंत-चिकित्सकों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो सदस्य ;

* * * * * *

MGIPMRND—718LS(CRC)—21-6-2019.

दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	मंत्री महोदय के नाम	डॉ हर्ष वर्धन	हर्ष वर्धन